उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या : 4/2025/259/94-स्टा०नि०-2-2025-700(13)/2023 टी०सी०
लखनऊ, दिनांक : 11 मार्च, 2025

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 74 और 75 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, संयुक्त प्रान्त स्टाम्प नियमावली, 1942 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (इक्यावनवाँ संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश स्टाम्प (इक्यावनवाँ संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये होगा।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2. संयुक्त प्रान्त स्टाम्प नियमावली, 1942 में, नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (क) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से रू० 10,000/- से रू० 25,000/- मूल्य-वर्ग तक के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र, स्टाम्प शुल्क भुगतान हेतु विधिमान्य नहीं माने जायेंगे किन्तु इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने से पूर्व क्रय किये गये उक्त मूल्य-वर्ग के गैर-न्यायिक भौतिक स्टाम्प पत्र इस परन्तुक से आच्छादित नहीं होंगे :

परन्तु यह और भी कि इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने से पूर्व क्रय किये गये रू० 10,000/- से रू० 25,000/- मूल्य वर्ग तक के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्रों का प्रयोग तथा वापसी दिनांक 31.03.2025 तक विधिमान्य रहेगी।"

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-4/2025/259(1)/94-स्टा०नि०-2-2025, तददिनांक</u>।

हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस दिनांक 11 मार्च, 2025 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

<u>संख्या-4/2025/259(2)/94-स्टा०नि०-2-2025, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार महालेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
4- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
5- आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
6- निदेशक कोषागार, उ०प्र०।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
8- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
9- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) (द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन)।
10- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प्र० (द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन)।
11- समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन/उपायुक्त स्टाम्प, उ०प्र० (द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन)।
12- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र० (द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन)।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 4/2025/259/94-SR-2-2025-700(13)/2023-TC dated 11 March, 2025 for general information:

NOTIFICATION

No. 4/2025/259/94-SR-2-2025-700(13)/2023-TC
Lucknow; Dated: 11 March, 2025

In exercise of the powers under sections 74 and 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the United Provinces Stamp Rules, 1942, namely :-

The Uttar Pradesh Stamp (Fifty-first Amendment) Rules, 2025

Short title, extent and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Stamp (Fifty-first Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall extend to whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of rule 3

2. In the United Provinces Stamp Rules, 1942, after the proviso to clause (a) of sub-rule (2) of rule 3, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that with effect from the date of publication of this notification, physical non-Judicial stamp papers of the denominations of Rs.10,000/- to 25,000/- will no longer be considered valid for the payment of stamp duty, but non-Judicial physical stamp papers of the said denominations, purchased before the date of publication of this notification in the Official Gazette will not be covered under this proviso:

Provided also that the usage and refund of physical non-Judicial stamp papers of the denominations of Rs. 10,000/- to Rs. 25,000/- purchased before the date of publication of this notification in the Official Gazette will remain valid till 31.03.2025."

By order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।